न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही (राज.)

बईजलास श्री सुरेन्द्र कुमार सोलंकी, आई.ए.एस.

मुकदमा सं. 8 / 2019

प्रार्थी

सरकार जरिए थानाधिकारी पुलिस थाना पालडी एम

बनाम

अप्रार्थी

श्री डूंगर सिंह पुत्र श्री अर्जुन सिंह जाति राजपूत निवासी पालडी एम, तहसील शिवगंज, जिला–सिरोही ।

प्रकरण अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

उपस्थिति :–

1. श्रीमती निलीमा शर्मा, सहायक लोक अभियोजन अधिकारी प्रथम, सिरोही
2. श्री भंवर सिंह देवडा अधिवक्ता अप्रार्थी

निर्णय

दिनांक 10.4.2019

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 08.04.2016 को उप अधीक्षक पुलिस, सिरोही के नेतृत्व में थानाधिकारी पुलिस थाना पालडी एम द्वारा अप्रार्थी के ढाबे पर जॉच करने पहुॅचने पर ढाबे के पास उसकी जमीन में बने कमरे व परिसर की तलाशी लेने पर चार 200–200 लीटर के ड्रमों में डीजल भरा हुआ पाया गया तथा चार 35–35 लीटर वाले आसमानी रंग के जरिकनों में पेट्रोल भरा हुआ पाया गया इस तरह कुल 1025 लीटर डीजल एवं 120 लीटर पेट्रोल एवं विद्युत मोटर प्लास्टिक के पाईप लौहे के किमा व लौहे के छोटे पाईप पाये गये। इनके पास कोई अनुज्ञापत्र या भंडारण करने संबंधी दस्तावेज नही पाये गये। जिस पर पुलिस द्वारा कब्जे सरकार लिया जाकर नमूना सैम्पल 28 बोतलों में ए–1 से एन–2 तक लिया गया पुलिस द्वारा यह प्रकरण आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6 ए के तहत कब्जे लिये गये पेट्रोल, डीजल व अन्य सामग्री को समयपहरण (Confiscate) करने हेतु यह प्रकरण पेश किया गया है ।

प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया, जिस पर अप्रार्थी के द्वारा उपस्थिति दी गई एवं अप्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता श्री भंवर सिंह देवडा द्वारा वकालतनामा पेश किया जवाब पेश नही किया गया ।

प्रार्थी की ओर से श्रीमती निलीमा शर्मा, सहायक लोक अभियोजन अधिकारी प्रथम, सिरोही एवं अप्रार्थी की बहस सुनी गई । प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि प्रार्थी द्वारा ढाबे पर जॉच करने पहुॅचने पर ढाबे के पास अप्रार्थी की जमीन में बने कमरे व परिसर की तलाशी लेने पर चार 200–200 लीटर के ड्रमों में डीजल भरा हुआ पाया गया तथा चार 35–35 लीटर वाले आसमानी रंग के जरिकनों में पेट्रोल भरा हुआ पाया गया इस तरह कुल 1025 लीटर डीजल एवं 120 लीटर पेट्रोल एवं विद्युत मोटर प्लास्टिक के पाईप लौहे के किमा व लौहे के छोटे पाईप पाये गये।

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned by CamScanner

अवैद्य रूप से पेट्रोल एवं डीजल का भंडारण करना आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दंडनीय अपराध है। इनके पास कोई अनुज्ञापत्र या भंडारण करने संबंधी दस्तावेज नही पाये गये। अवैद्य भंडारण करने से निरीक्षण दल द्वारा कब्जे सरकार लिया गया है।

जो राजस्थान पेट्रोलियम उत्पादन (अनुशासन व नियंत्रण) आदेश 1990 की क्लॉज 15 का स्पष्ट उल्लंघन किया है । जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत अपराध है । अतः कब्जे सरकार लिये गये पेट्रोल डिजल एवं अन्य सामग्री को जब्त सरकार किया जावे ।

अप्रार्थी के लायक अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र को गलत बताते हुए खारिज करने का निवदेन करते हुए पेट्रोल, डिजल एवं अन्य. सामग्री वापस दिलवाये जाने का निवेदन किया ।

मैने पक्षो की सुनी गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी के ढावे पर जॉच करने पहुॅचने पर ढावे के पास अप्रार्थी की जमीन में बने कमरे व परिसर की तलाशी लेने पर चार 200–200 लीटर के ड्रमों में डीजल भरा हुआ पाया गया तथा चार 35–35 लीटर वाले आसमानी रंग के जरिकनों में पेट्रोल भरा हुआ पाया गया इस तरह कुल 1025 लीटर डीजल एवं 120 लीटर पेट्रोल एवं विद्युत मोटर प्लास्टिक के पाईप लौहे के किमा व लौहे के छोटे पाईप पाये गये। अवैद्य रूप से पेट्रोल एवं डीजल का भंडारण करना राजस्थान पेट्रोलियम उत्पादन (अनुशासन व नियंत्रण) आदेश 1990 की क्लॉज 15 का स्पष्ट उल्लंघन किया है। जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दंडनीय अपराध है। अतः 7 ड्रम एवं 4 जरीकन में भरा हुआ डीजल कुल 1003 लीटर एवं 3 जरीकन में भरा हुआ पेट्रोल 114 लीटर एवं ड्रम एवं मोटर व अन्य सामग्री जो कब्जे सरकार लिये गये को जब्त सरकार किया जाना विधि सम्मत पाये जाने से कब्जे सरकार लिये गये पेट्रोल एवं डीजल एवं अन्य सामग्री को समयपहरण (Confiscate) करने के आदेश दिये जाते है । जिला रसद अधिकारी, सिरोही कब्जे सरकार लिये गये 7 ड्रम एवं 4 जरीकन में भरा हुआ डीजल कुल 1003 लीटर एवं 3 जरीकन में भरा हुआ पेट्रोल 114 लीटर को अनुज्ञाधारी पेट्रोल पंप मालिक को वर्तमान कम्पनी दर पर सुपुर्द करें एवं ड्रम, मोटर व अन्य सामग्री को नीलाम कर उससे प्राप्त राशि उचित लेखा मद में राजकोष में जमा कराने की कार्यवाही करे ।

निर्णय आज दिनांक 10.4.2019 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(सुरेन्द्र कुमार सोलंकी)
जिला कलक्टर, सिरोही

Scanned by CamScanner